बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा लूणसरा के खाता संख्या 718 के खसरा नम्बर 31 रकबा 1.4811 हैक्टेयर, रहता चला आया है। उक्त खेत प्रार्थी के खातेदारी के खेत है जिसमें प्रार्थी का नाम राजेन्द्र नगंवाड़िया पुत्र सीताराम के स्थान पर नाबालिग राजूराम पुत्र सीताराम संरक्षक मुस्मात राधा दर्ज है, को शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा लूणसरा के खाता संख्या 718 के खसरा नम्बर 31 रकबा 1.4811 हैक्टेयर, रहता चला आया है। उक्त खेत प्रार्थी के खातेदारी के खेत है जिसकी जमाबंदी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र नगंवाड़िया पुत्र सीताराम के स्थान पर नाबालिग राजूराम पुत्र सीताराम संरक्षक मुस्मात राधा भूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर गलत नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा लूणसरा के खाता संख्या 718 के खसरा नम्बर 31 रकबा 1.4811 हैक्टेयर, रहता चला आया है। उक्त खेत प्रार्थी के खातेदारी के खेत है जिसमें प्रार्थी का नाम राजेन्द्र नमें दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मौजा लूणसरा के खाता संख्या 718 के खसरा नम्बर 31 रकबा 1.4811 हैक्टेयर, में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम नाबालिग राजूराम पुत्र सीताराम संरक्षक मुस्मात राधा के स्थान पर राजेन्द्र नगंवाड़िया उर्फ राजूराम पुत्र सीताराम दुरूस्त** किया जाता है। **उपरोक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत् रहेगा।** तहसीलदार डेह को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 23/09/24 को मेरे द्वारा सारे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner